उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 90/2023–24 दिनांक : 05.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुनिल श्रीवास्तव, परिवादी
पता–पंजाब केसरी, जवाहर नगर,
पो0–नगला डेरी, पंतनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री सुनिल श्रीवास्तव का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2E415112290 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू0 77869.00 विभाग द्वारा जारी किया गया है जो बहुत अधिक है। जिसके निवारण हेतु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच देहरादून को पत्र प्रेषित कर बिल दुरूस्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। उसके उपरांत उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि कुमाऊं उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराये। इसलिए उपरोक्त बिल को संशोधित कराने हेतु प्रार्थना पत्र को इस फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल (रू0 77869.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.07.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 03.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 03.08.2023, 22.08.2023 व 05.09.2023

क्रमशः 2.....

को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) व दिनेश चन्द्र गुर्रानी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—628 दिनांक 04.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बिल मैनुअली गणना के आधार पर संशोधित कर रू0 13212.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी के विद्युत बिल की मैनुअली गणना व कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

05/09/2023 5/9/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य